पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, नेहरू नगर–कोलार बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.) 462003
Website: http://www.klsgaci.edu.in e–mail: principal@klsgaci.nic.in Phone: 0755 – 2970310

क्रमांक / 2024 / योजना / 1313 भोपाल, दिनांक 23/10/2024

पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल (म0प्र0) द्वारा, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट "Awareness Generation and Management of Diabetes Mellitus in Rural and Suburban areas of Bhopal" under Public Health Initiatives (PHI) Scheme के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट अवधि (01 वर्ष / प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक) के लिए निम्नांकित शर्तो के अनुरूप आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क्रं.	कार्य का प्रकार	अनिवार्य योग्यता	मानदेय	संख्या	अवधि
1.	प्रोजेक्ट मैनेजर	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. एवं क्लिनिकल विषय मे स्नातकोत्तर अर्हता / एम.पी.एच	रूपये 45,000 / – प्रतिमाह	01	01 वर्ष / प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सी.पी.सी.टी. सर्टिफिकेट	रूपये 20,000 / – प्रतिमाह	01	01 वर्ष / प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक

नोटः–

आवेदन संबंधित प्रकिया की जानकारी नियम एवं शर्ते, आवेदन प्रपत्र सहित संस्थान की वेबसाइट www.klsgaci.edu.in पर उपलब्ध है। संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन–पत्र को डाउनलोड कर सम्यक रूप से भरकर आवश्यक स्वप्रमाणित प्रपत्रों के साथ अधोलिखित पते पर स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। न्यूनतम योग्यता हेतु अंतिम तिथि, आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक ही मान्य होगी। आवेदन करने की तिथि दिनांक 25 / 10 / 2024 से 10 / 11 / 2024 है। कार्यालयीन समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्रो की छानबीन पश्चात् योग्य उम्मीदवारों की सूची अपलोड कर संस्थान की वेबसाइट (www.klsgaci.edu.in) पर साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान आदि सूचित किया जावेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वो समय–समय पर संस्थान की वेबसाइट को विजिट करते रहें।

आवेदन की अंतिम तिथि :– 10 / 11 / 2024

चयन का तरीका :– वाक–इन–इन्टरव्यू

आवेदन पत्र भेजने हेतु पता :– **प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, नेहरू नगर–कोलार बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.) 462003, दूरभाष क्रं :– 0755–2970310**

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत के प्रोजेक्ट "**Awareness Generation and Management of Diabetes Mellitus in Rural and Suburban areas of Bhopal" under Public Health Initiatives (PHI) Scheme** के कियान्वयन हेतु, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर की सेवाओं के अनुबंध हेतु।

//नियम एवं शर्ते//

1. शैक्षणिक योग्यताः– प्रोजेक्ट मैनेजर हेतु विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आई.एम.सी.सी. एक्ट की अनुसूची मे सम्मलित बी.ए.एम.एस. उपाधि एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्लिनिकल विषय मे स्नातकोत्तर अर्हता/एम.पी.एच उपाधि एवं डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर हेतु विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सी.पी.सी.टी. सर्टिफिकेट।

2. प्रोजेक्ट दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रति माह रूपये 45,000/– निश्चित राशि (मानदेय) एवं डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर को प्रतिमाह रू 20,000/– निश्चित राशि देय होगी।

3. प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्य समाप्ति के पश्चात अथवा अधिकतम 01 वर्ष जो भी पहले हो पर कार्यकाल स्वयमेव समाप्त हो जावेगा जिसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी। प्रोजेक्ट के आवश्यकतानुसार कार्य संतोषजनक होने पर समयावधि मे वृद्धि की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थी को नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करना होगा एवं किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त होने से पूर्व मुख्यालय की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

4. चयनित अभ्यर्थी को 07 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. अनुबंधित व्यक्ति को संस्थान के पूर्व अनुमति के बिना सपादित किये गये कार्यों की जानकारी तृतीय पक्ष को हस्तान्तरित, प्रकाशित एवं उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। कार्य प्रारंभ करते समय इस आशय का वचन पत्र 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

6. संबंधित के त्याग पत्र देने की स्थिति में तथा परियोजना के समाप्त होने के पश्चात सभी दस्तावेजों एवं संस्थान द्वारा उपलब्ध सामग्री को संस्थान में जमा कराना अनिवार्य होगा।

7. यह सेवाएं सम्बन्धित प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। अतः भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।

8. संबंधित व्यक्ति किसी भी हैसियत से संस्थान स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे ओर वह लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।

9. अनुवंधित उम्मीदवार को आमंत्रण के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।

10. परियोजना प्रभारी के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।

11. शासकीय अवकाश के दिवरा को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नही होगी।

12. अनुवंधित व्यक्ति किसी भी स्थिति में किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।

13. अनुवंधित व्यक्ति का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner